



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 1, 1977/आश्विन 9, 1899

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1, 1977/ASVINA 9, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October 1977

No. PEK-28/77—In exercise of the powers conferred on them by Clause (a) of Sub-Section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government is pleased to appoint Shri S L Verma, as Chairman, Kandla Port Trust with effect from 17th September, 1977 afternoon and until further orders.

V R MEHTA, Jt Secy

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1977

सं० पी० ई० के०-28/77.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री एस० एल० वर्मा को 17-9-77 के अपराह्न से और अगला आदेश होने तक के लिए कांडला पत्तन न्यास का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

बी० आर० मेहता, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिन्टा रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977